

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232] दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 2018/अग्रहायण 16, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 677
No. 232] DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 2018/AGRAHAYANA 16, 1940 [N.C.T.D. No. 677

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2018

सं.फा. 21(78)/आरआर/प्रशि. प्रशा./2017/डीटीटीई/819.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में रोजगार कौशल प्रशिक्षक के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (i) इन नियमों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में रोजगार कौशल प्रशिक्षक, भर्ती नियम, 2018 कहा जायेगा।
(ii) ये शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :— उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयुसीमा तथा अन्य योग्यताएं इत्यादि** :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयुसीमा, योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :— ऐसा कोई भी व्यक्ति
(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

शर्त यह है कि सरकार यदि संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।
6. **बचाव** :— इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है
1.	2.	3.	4.	5.
रोजगार कौशल प्रशिक्षक	26* (2018) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।	'ख' वर्ग सामान्य केन्द्रीय सेवा अराजपत्रित, अलिपिकीय	स्तर-6 (35,400-1,12,400 /— रुपये)	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिये उम्मीदवारों के आयुसीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयुसीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परिरीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6.	7.	8.	9.
तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) टीप : आयुसीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्धारित होगी।	अनिवार्य : क. 12वीं कक्षा या अधिक तक अंग्रेजी का अध्ययन तथा किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम से कम एक वर्ष का मूलभूत कम्प्यूटर पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र; तथा ख. (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर; या (2) किसी संस्थान/विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ औद्योगिक संगठन में शिक्षण / उद्योग / प्रशिक्षण में दो वर्षीय अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से व्यवसाय प्रशासन में स्नातक; या	लागू नहीं	दो वर्ष टीप: मान्यताप्राप्त संस्थान / डीजीईटी से विभाग द्वारा प्रशिक्षित और प्रायोजित प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति की शर्त पर परिरीक्षा पूर्ण होगी।

	<p>(3) किसी संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ औद्योगिक संगठन में शिक्षण / उद्योग /प्रशिक्षण में दो वर्षीय अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से समाज विज्ञान/समाज कल्याण/ अर्थशास्त्र एक विषय सहित स्नातक की उपाधि ;</p> <p>या</p> <p>(4) किसी संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ औद्योगिक संगठन में शिक्षण / उद्योग /प्रशिक्षण में दो वर्षीय अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से स्नातक तथा डीजीईटी अनुमोदित संस्थान से रोजगार कौशल में प्रशिक्षित</p> <p>टीप 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।</p> <p>टीप 2 : यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।</p>		
--	---	--	--

भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
10	11.	12.	13.
सीधी भर्ती द्वारा टीप:- पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रुग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिये हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार/संघ राज्य प्रशासन /सांविधिक या स्वायत्त निकायों / मान्यता प्राप्त संस्थानों में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले उन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी जो कॉलम 7 के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक	लागू नहीं	‘ख’ वर्गीय विभागीय स्थाईकरण समिति : 1. निदेशक, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, रा.रा.क्षे. दि.स. — अध्यक्ष 2. विशेष निदेशक/अपर निदेशक,प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग —सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी (डीटीटीई) रा.रा.क्षे. दि.स. —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

<p>योग्यताएं एवं अनुभव रखते हो। (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।</p>			
---	--	--	--

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
देविन्द्र सिंह, आयुक्त-सह-सचिव

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 6th December, 2018

F. No. 21 (78)/RR/TRG.ADMN./2017/DTTE/819.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the constitution, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi hereby in consultation with Union Public Service Commission makes rules regulating the method of Recruitment to the post of Employability skills Instructor in Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:-

- (1) **Short title and commencement.**- (i) These rules may be called the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, Employability skills Instructor, Recruitment Rules -2018.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (2) **Number of post, its classification and Level in the Pay Matrix.**- The number of said post, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- (3) **Method of Recruitment, age limit, qualifications etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be specified in the columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.
- (4) **Disqualifications.- No Person,-**
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for the appointment to the said post;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- (5) **Power to Relax.-** Where the Government is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- (6) **Saving.-** Nothing in these rules shall effect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex –Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post.	No. of Post.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether Selection or Non-Selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
EMPLOYABILITY SKILLS INSTRUCTOR	26* (2018) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group – “B”, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400)	Not applicable

Age limits for direct Recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
<p>Not exceeding Thirty Years (Relaxable for Government servants up to Five years' in accordance with the instructions or order issued by the Central Government)</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as prescribed by Competent Authority.</p>	<p>Essential:</p> <p>(A) Studied English up to 12th Level or above and atleast one year Certificate Course in Basic Computer from a recognized institute;</p> <p style="text-align: center;">AND</p> <p>(B) (1) Master in Business Administration from a recognized University/ Institute; OR</p> <p>(2) Bachelor in Business Administration from a recognized University/ Institute with Two years experience in Teaching/ Industry/Training in an Institute/School/College/ University/Industrial Organization; OR</p> <p>(3) Bachelor's Degree with one of the subject of Sociology/Social Welfare/ Economics from a recognized University/Institute with Two years experience in Teaching/Industry/Training in an Institute/School/ College/University/Industrial</p>	<p>Not applicable</p>	<p>Two years</p> <p>Note: Completion of probation shall be subject to successful completion of training of trainers as devised and sponsored by Department, from a recognized Institute/DGE&T</p>

	<p>Organization;</p> <p>OR</p> <p>(4) Graduate from a recognized University /Institute with Two years experience in Teaching/ Industry/Training in an Institute/school/college/university/ Industrial Organization and Trained in Employability Skills from DGET approved Institutes.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority , for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of Candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>		
--	---	--	--

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of Recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made.	If a DPC exists , what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
<p>By direct recruitment</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Governments/Union Territory Administrations/Statutory or Autonomous Bodies/Recognised Institutes holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; and possessing educational qualifications and Experience prescribed for direct recruits</p>	Not applicable	<p>Group 'B'</p> <p>Departmental Confirmation Committee:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director, Department of Training and Technical Education, GNCT of Delhi - Chairman 2. Special Director /Additional Director (Training and Technical Education)- Member 3. Administrative Officer (DTTE), 	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

under column (7). [Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another Ex- Cadre post held immediately preceding appointment in the same or some other Organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications]		GNCT of Delhi – Member	
---	--	------------------------	--

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
DEVINDER SINGH, Commissioner-cum-Secy.